भारत सरकार
विदेश मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1839
दिनांक 22.12.2022 को उत्तर देने के लिए

आधिकारीक विदेश यात्रा के लिए मंजूरी

1839 #. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्य सरकारों के सदस्यों द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में विदेश यात्राओं के लिए केंद्र से प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान किन-किन राज्य सरकारों के सदस्यों ने आधिकारिक विदेशी दौरों के लिए केंद्र से प्रशासनिक मंजूरी का निवेदन किया था, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त में से किन-किन सदस्यों को अनुमति दी गई तथा किन-किन सदस्यों को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी गई, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अनुमति नहीं देना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटीकृत विदेश यात्रा के अधिकार को प्रभावित करता है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) विदेश मंत्रालय राज्य सरकारों के विदेश यात्रा के लिए प्रशासनिक अनुमोदन से संबंधित कार्य नहीं करती।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

*****